[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्तमंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 02/2020- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

नयी दिल्ली, दिनांक 26 मार्च, 2020

सा. का. नि. ....(अ) केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (1), (3) और उप-धारा (4), धारा 8 की उप धारा (1) और धारा 21 के खंड (iv) और खंड (xxvii) के तहत शक्तियों का प्रयोग कराते हुये केंद्र सरकार, जी एस टी परिषद की सिफ़ारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुये कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा. का. नि. 702(अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राज-पत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 25 के समक्ष,

(i) मद (i) के पश्चात, और कालम (3), (4) और (5) में दी गयी उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

(3)	(4)	(5)
"(iक) वायुयान, वायुयान के इंजन और वायुयान के अन्य घटक और कल-पुर्जों की देख-भाल, मरम्मत या ओवरहोलिंग की सेवाएँ	2.5	-"

(ii) मद(ii) में, कालम (3) में, कोष्ठक और अंक "(i)" के पश्चात शब्द, कोष्ठक और अंक "और (iiक)" को अंतःस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी।

[फा. संख्या 354/32/2020-टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा. का. नि. 702(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 26/2019- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 22 नवम्बर, 2019, सा. का. नि. 872(अ), दिनांक 22 नवम्बर, 2019 के द्वारा सांशोधन किया गया है।